भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./II/66/2024 **12 फरवरी, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा)

महोदय/महोदया

विषयः समाधान व्यावसायिक द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 99 के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट को ऋणी और लेनदारों, दोनों को साझा करना ।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(संहिता) के भाग 3 के अध्याय 3 के अधीन किसी ऋणी की किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में समाधान व्यावसायिक(आर.पी.), संहिता की धारा 94 या धारा 95 के अधीन फाइल किए गए आवेदन की परीक्षा करता है और आवेदन को अनुमोदित या नामंजूर करने की सिफारिश करते हुए संहिता की धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है । धारा 99 की उपधारा (10), आर.पी. को यह आदिष्ट किया गया है कि वह इस रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, ऋणी या लेनदार को साझा करे ।

2 यह पाया गया है कि कतिपय मामलों में, आर.पी. ने रिपोर्ट की प्रति ऋणी और लेनदार, दोनों को साझा नहीं की है जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच समान जानकारी की पहुंच की कमी कारित हुई है ।

3. अतः, यह सलाह दी जाती है कि आर.पी. सभी मामलों में ऋणी और लेनदारों, दोनों को रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करेगा । इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऋणी और लेनदारों को, आर.पी. द्वारा किए गए मूल्यांकन और की गई सिफारिशों के बारे में पूरी जानकारी है, जिससे पारदर्शिता और सुविचारित विनिश्चय करना संवर्धित होगा।

4. यह परिपत्र संहिता की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय
हस्ता/.
(सुशांत कुमार दास)
उप-महाप्रबंधक
ईमेलःdas.sushanta@ibbi.gov.in